



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 फरवरी 2013-माघ 12, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय देवास विकास प्राधिकरण, देवास

चामुण्डा कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, देवास

दिनांक 22 जनवरी, 2013

प्ररूप-उन्नीस

[नियम-19 (5) देखिए]

[धारा-50 की उपधारा (7) के अधीन अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशन की सूचना]

क्र. 150/47.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-50 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित की गई नगर विकास योजना, अर्थात् योजना क्रमांक 01/2011, देवास-भोपाल रोड पर सृष्टि क्लब के सामने की भूमि पर आवासीय योजना—ग्राम देवास सीनियर, तहसील देवास, जिला देवास मध्यप्रदेश के सर्वे क्र. 393, 394, 395 कुल क्षेत्रफल 3.811 हेक्टेयर, जिसकी चतुः सीमा—पूर्व में—देवास सीनियर के सर्वे क्र. 391/2/1, 392/1 आदि, पश्चिम में—निजी भवन, देवास सीनियर के सर्वे क्र. 381/1154, 381/1157 आदि, उत्तर में—देवास-भोपाल रोड, दक्षिण में— देवास सीनियर के सर्वे क्र. 396, 398 आदि हैं, क्षेत्र के लिये धारा-50 की उपधारा (7) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित की जाती है और उक्त योजना की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में 90 दिन के लिए निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में उपलब्ध है—

1. कार्यालय देवास विकास प्राधिकरण, देवास (मध्यप्रदेश).
2. कार्यालय उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास (मध्यप्रदेश).

दिनांक 22 जनवरी, 2013

प्ररूप-उन्नीस

[नियम-19 (5) देखिए]

[धारा-50 की उपधारा (7) के अधीन अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशन की सूचना]

क्र. 150/48.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-50 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित की गई नगर विकास योजना, अर्थात् योजना क्रमांक-02/2011, देवास-नेवरी रोड पर वृद्धाश्रम के समीप की भूमि पर आवासीय योजना- ग्राम देवास सीनियर, तहसील देवास, जिला देवास, मध्यप्रदेश के सर्वे क्र. 411, 412/1, 412/2/1, 412/2/2, 422/1.13/1, 422/1.13/2, 422/1.13/3, 422/1.13/4, 422/1.13/5, 422/1.13/6, 422/1.13/7, 422/1.13/8, 422/1.13/9, 421/7 कुल क्षेत्रफल 12.415 हेक्टेयर, जिसकी चतुःसीमा— पूर्व में—देवास सीनियर के सर्वे क्र. 410, 420 आदि, पश्चिम में—निजी कॉलोनी एवं रोड, उत्तर में—रोड, देवास सीनियर के सर्वे क्र. 381/1161 आदि, दक्षिण में— रोड है, क्षेत्र के लिये धारा-50 की उपधारा (7) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित की जाती है और उक्त योजना की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में 90 दिन के लिए निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में उपलब्ध हैं—

1. कार्यालय देवास विकास प्राधिकरण, देवास (मध्यप्रदेश).
2. कार्यालय उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास (मध्यप्रदेश).

(286 A-बी.)

दिनांक 22 जनवरी, 2013

प्ररूप-उन्नीस

[नियम-19 (5) देखिए]

[धारा-50 की उपधारा (7) के अधीन अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशन की सूचना]

क्र. 150/49.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-50 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित की गई नगर विकास योजना, अर्थात् योजना क्रमांक-03/2011, देवास-भोपाल रोड पर बायपास चौराहे से आगे बायीं ओर की भूमि पर आवासीय योजना- ग्राम- जेतपुरा, तहसील देवास, जिला देवास, मध्यप्रदेश के सर्वे क्र. 104, 105 पैकी, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 116 पैकी, कुल क्षेत्रफल 5.798 हेक्टेयर, जिसकी चतुःसीमा— पूर्व में—ग्राम जेतपुरा के सर्वे क्र. 105 पैकी, 106/6 आदि, पश्चिम में—ग्राम जेतपुरा की निजी भूमि, उत्तर में—ग्राम जेतपुरा के सर्वे क्र. 103, 113, 116 पैकी आदि, दक्षिण में—देवास-भोपाल रोड है, क्षेत्र के लिये धारा-50 की उपधारा (7) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित की जाती है और उक्त योजना की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में 90 दिन के लिए निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में उपलब्ध हैं—

1. कार्यालय देवास विकास प्राधिकरण, देवास (मध्यप्रदेश).
2. कार्यालय उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास (मध्यप्रदेश).

(286 B-बी.)

दिनांक 22 जनवरी, 2013

प्ररूप-उन्नीस

[नियम-19 (5) देखिए]

[धारा-50 की उपधारा (7) के अधीन अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशन की सूचना]

क्र. 150/50.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-50 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित की गई नगर विकास योजना, अर्थात् योजना क्रमांक-04/2011, देवास-भोपाल रोड पर बायपास चौराहे से आगे दाहिनी ओर की भूमि पर आवासीय योजना- ग्राम जेतपुरा, तहसील देवास, जिला देवास, मध्यप्रदेश के सर्वे क्र. 378 पै., 379/1, 379/2, 379/3, 379/3/1, 379/4, 379/5, 380/5/1, 380/5/2, 380/5/3, 380/5/4, 382/3 पै., 380/6/1, 380/6/2, 380/6/2 पै., 380/6/3 पै., 380/6/3 पै., 380/6/3 पै.,

380/6/3 पै., 380/6/3 पै., 380/6/3 पै., 380/6 पै. कुल क्षेत्रफल 7.811 हेक्टेयर जिसकी चतुःसीमा— पूर्व में—ग्राम— जेतपुरा के सर्वे क्र. 376,377, 382/3 पै. आदि, पश्चिम में—ग्राम जेतपुरा के सर्वे क्र. 380/5 पै. आदि, उत्तर में— देवास-भोपाल रोड, दक्षिण में—ग्राम जेतपुरा के सर्वे क्र. 382/3 आदि है क्षेत्र के लिये धारा-50 की उपधारा (7) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित की जाती है और उक्त योजना की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में 90 दिन के लिए निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में उपलब्ध हैं—

1. कार्यालय देवास विकास प्राधिकरण, देवास (मध्यप्रदेश).
2. कार्यालय उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास (मध्यप्रदेश).

(286 C-बी.)

ए. ए. भोरास्कर,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम उपनाम सहित जलाल अहमद (JALAL AHMAD) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित जलाल अहमद सिद्दीकी (JALAL AHMAD SIDDIQUI) हो गया है. अतः अब मुझे अपने नये नाम उपनाम सहित जलाल अहमद सिद्दीकी (JALAL AHMAD SIDDIQUI) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(जलाल अहमद)
(JALAL AHMAD)

(282-बी.)

नया नाम :

(जलाल अहमद सिद्दीकी)
(JALAL AHMAD SIDDIQUI)

244, वार्ड नं. 29, राजेन्द्रनगर,
न्यू बैतूल हायर सैकेंडरी स्कूल के पास, बैतूल,
जिला बैतूल (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रविन्द्र बोथरा (RAVINDRA BOTHRA) से परिवर्तित होकर मेरा अब नया नाम रवि बोथरा (RAVI BOTHRA) हो गया है. अतः अब मुझे मेरे नये नाम रवि बोथरा (RAVI BOTHRA) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(रविन्द्र बोथरा)
(RAVINDRA BOTHRA)

(283-बी.)

नया नाम :

(रवि बोथरा)
(RAVI BOTHRA)
ए-43, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कोहेफिजा, भोपाल, (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अभी तक कुंवारी (शादी से पहले) हेमंत पिता जयकिशन यादव के नाम से जानी जाती थी, मैं, बैंक ऑफ इंडिया, शाखा नेमावर में स्टाफ क्लर्क (C.T.O) के पद पर कार्यरत हूँ. मेरा विवाह दिनांक 17 फरवरी, 2012 को अभिषेक पिता राधेश्याम पटेल के साथ सम्पन्न हो गया है और अब मैं श्रीमती हर्षिता पति अभिषेक पटेल हो गई हूँ. अतः अब मुझे हेमंत पिता जयकिशन यादव, के स्थान पर श्रीमती हर्षिता पति अभिषेक पटेल के नाम से जाना पहचाना जावे. यह सर्व विदित हो.

पुराना नाम :

(HEMANT YADAV)

(285-बी.)

नया नाम :

(HARSHITA ABHISHEK PATEL)
बैंक ऑफ इंडिया, नेमावर तह. खातेगाँव,
जिला देवास, (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम मुकुन्द कुमार पिता मदन लाल महाजन था, जिसे बदलकर मुकेश कुमार पिता मदन लाल महाजन कर लिया है, अब मुझे नये नाम मुकेश कुमार पिता मदन लाल महाजन से लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(मुकुन्द कुमार)

पिता मदन लाल महाजन

(287-बी.)

नया नाम :

(मुकेश कुमार)

पिता मदन लाल महाजन

33, नूतन नगर कॉलोनी,

खरगौन (मध्यप्रदेश).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स न्यू एज वैल्थ मैनेजमेन्ट, एम. एस. रोड, मुरैना की भागीदारी से दिनांक 28 जून, 2011 से भागीदार अजय हूडा HUF एवं वीरेन्द्र कुमार HUF स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं.

अब इस भागीदारी फर्म में श्री अजय हूडा, श्रीमती संतोष हूडा एवं श्रीमती मंजू हूडा भागीदार हैं, सूचित हो.

द्वारा :

अजय हूडा,

भागीदार

(283-बी.)

मैसर्स न्यू एज वैल्थ मैनेजमेन्ट.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स माटोलिया मोटल्स, नये बस स्टैण्ड के पास, लिंक रोड, ग्वालियर जो कि एक साझेदारी फर्म है, इसमें होटल एवं अन्य व्यवसाय किया जाता है. उक्त फर्म में दिनांक 21 अप्रैल, 2005 को श्री महेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग, निवासी—आगरा-बोम्बे रोड, शिवपुरी, मध्यप्रदेश का निधन हो जाने से फर्म से पृथक् हो गए हैं.

विष्णु प्रसाद गर्ग,

मैसर्स माटोलिया मोटल्स,

नये बस स्टैण्ड के पास,

लिंक रोड, ग्वालियर (म. प्र.).

(288-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स आकांक्षा प्लांट बायोटेक कम्पनी/फर्म भोपाल में जगदीश माली पुत्र श्री भुवनीराम माली दिनांक 14 मई, 2010 से भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं. उक्त फर्म का पता दिनांक 14 अप्रैल, 2009 से परिवर्तित होकर रूम नंबर 18, 59 आदित्य कॉम्प्लेक्स, धर्म कांटा छोला रोड, भोपाल है.

संजय कुमार सिंह,

भागीदार

(289-बी.)

मैसर्स आकांक्षा प्लांट बायोटेक कम्पनी/फर्म.

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 16 जनवरी, 2013

क्र. / क्यू./एस.सी. 2/14-15/2/2013.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रम-4 एवं 8 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2/1999/1/4, दिनांक 30 मई, 1999 के तहत जिला ग्वालियर के वर्ष 2013 के लिये तीन स्थानीय अवकाश

निम्नानुसार घोषित करता हूँ:—

क्रमांक	त्यौहार	दिन	दिनांक
1.	महारानी लक्ष्मी बाई बलिदान दिवस	मंगलवार	18 जून, 2013
2.	सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या	शुक्रवार	04 अक्टूबर, 2013
3.	भाईदोज (दीपावली)	मंगलवार	05 नवम्बर, 2013

उक्त अवकाश बैंक, कोषालय एवं उप-कोषालयों के लिये लागू नहीं होंगे.
(कलेक्टर द्वारा आदेशित).

(49)

सतेन्द्र सिंह,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी

सिवनी, दिनांक 03 जनवरी, 2013

क्र. / 82/व. लि./2013.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 में निहित प्रावधान अनुसार, सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनु. क्र. 04 के नियम 08 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अजीत कुमार, कलेक्टर सिवनी, वर्ष 2013 के लिये सिवनी जिले में निम्नलिखित तिथियों में पूरे दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

स.क्र.	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम जिसके लिए अवकाश घोषित किया गया.
1.	14 जनवरी, 2013	सोमवार	मकर संक्रांति
2.	22 अगस्त, 2013	गुरुवार	कजलियाँ
3.	04 नवम्बर, 2013	सोमवार	अन्नकूट पूजन (दीपावली)

यह अवकाश कोषालय/उप-कोषालय एवं बैंकों पर लागू नहीं होगा.

(48)

अजीत कुमार,
कलेक्टर.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर, वृत्त भोपाल

प्ररूप-चार

[नियम- 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि "श्री देवराहा बाबा जन कल्याण ट्रस्ट" द्वारा श्री एस.सी. वर्मा आत्मज श्री गयाप्रसाद, अध्यक्ष, निवासी-436, बी.डी.ए. कॉलोनी शाहपुरा, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 20 जनवरी, 2013 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के व्यतीत होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम . . . "श्री देवराहा बाबा जन कल्याण ट्रस्ट".
2. अचल सम्पत्ति
3. चल सम्पत्ति . . . 11,000/-.

(42)

सुनील दुबे,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभाग मुरैना

प्र. क्र. 01/2012-13/बी-113.

बनाम हर आम जनता, मुरैना.

जयें उद्घोषणा द्वारा हर आम जनता मुरैना को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री हरिमोहन महेश्वरी पुत्र श्री मदन मोहन महेश्वरी, निवासी सदर बाजार, मुरैना के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास पंजीयन 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत श्री साँई धाम गौशाला परमार्थ सेवा न्यास के गठन किये जाने संबंध में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

1. न्यास का पूरा नाम : श्री साँई धाम गौशाला परमार्थ सेवा न्यास मुरैना.
2. पता : विमल प्रधान सदर बाजार मुरैना.
3. लोक न्यास का उद्गम प्रकृति और उद्देश्य. : गौवंश की सेवा सहायता एवं उपचार, साँई बाबा का मंदिर एवं आध्यात्मिक केन्द्र की स्थापना आदि.
4. न्यास की चल/अचल सम्पत्ति का विवरण : 4,62,000/- अचल सम्पत्ति निरंक.
5. न्यास की आय का स्रोत : न्यास की आय का मुख्य स्रोत समाज से प्राप्त दान है.

उक्त ट्रस्ट के पंजीयन के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 45 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें. अवधि समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 2 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

(43)

डी. के. कम्ठान,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास

शुद्धि-पत्र

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि शुजालपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (सन् 23, सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा-(2) के तहत सर्व-साधारण की जानकारी हेतु दिनांक 18 जनवरी, 2013 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसमें अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के स्थान पर उपधारा (1) पढ़ा जावे.

(50)

एन. ए. लिखार,
उप-संचालक.

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 21 जनवरी, 2013

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन की सूचना

लहार निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए, समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति या सुझाव उपान्तरण हेतु प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

अतः उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्द्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 1 फरवरी, 2013 से दिनांक 8 फरवरी, 2013 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी.

1. कलेक्टर, भिण्ड.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर.
3. नगरपालिका, लहार.

(44)

वी. के. शर्मा,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उमरेठ, पंजीयन क्रमांक 164, दिनांक 26 अक्टूबर, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1695, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक ने संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझमें वेष्टित रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उमरेठ, पंजीयन क्रमांक 164, दिनांक 26 अक्टूबर, 1984 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(45)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, हिवरावासुदेव, पंजीयन क्रमांक 179, दिनांक 13 नवम्बर, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. के. नेमा, उप-अंकेक्षक को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1001, दिनांक 27 जून, 1996 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री आर. के. नेमा, उप-अंकेक्षक ने संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझमें वेष्टित रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, हिवरावासुदेव, पंजीयन क्रमांक 179, दिनांक 13 नवम्बर, 1987 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(45-A)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, पांढुर्णा, पंजीयन क्रमांक 543, दिनांक 18 फरवरी, 1944 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अजय दुबे, उप-अंकेक्षक को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/784, दिनांक 2 अप्रैल, 1979 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री अजय दुबे, उप-अंकेक्षक ने संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझमें वेष्टित रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, पांडुर्णा, पंजीयन क्रमांक 543, दिनांक 18 फरवरी, 1944 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(45-B)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

सर्वोदय ग्रामीण बेरोजगार सहकारी समिति मर्यादित, टेमनीकला, पंजीयन क्रमांक 281, दिनांक 16 मई, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. एस. दुबे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1695, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 से परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री आर. एस. दुबे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक ने संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझमें वेष्टित रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत सर्वोदय ग्रामीण बेरोजगार सहकारी समिति मर्यादित, टेमनीकला, पंजीयन क्रमांक 281, दिनांक 16 मई, 1991 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(45-C)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बांकानागनपुर, पंजीयन क्रमांक 282, दिनांक 24 मई, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ए. के. शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, चौरई को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1695, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 से परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री ए. के. शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, चौरई ने संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझमें वेष्टित रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बांकानागनपुर, पंजीयन क्रमांक 282, दिनांक 24 मई, 1997 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(45-D)

जी. एस. डेहरिया,
उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष श्री दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कमल्या,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

(पंजीयन क्रमांक 889, दिनांक 03 सितम्बर 2004, जिला शाजापुर).

विषय : मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 जनवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(46)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष श्री मायनारिटीज मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर,

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

(पंजीयन क्रमांक 644, दिनांक 22 जून, 1995, जिला शाजापुर).

विषय : मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 जनवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(46-A)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष श्री तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलाना,

तहसील गुलाना, जिला शाजापुर.

(पंजीयन क्रमांक 425, दिनांक 14 सितम्बर, 1987, जिला शाजापुर).

विषय : मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 जनवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(46-B)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष श्री सुयश मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., खडी,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

(पंजीयन क्रमांक 851, दिनांक 06 जनवरी, 2003, जिला शाजापुर).

विषय : मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की

धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 जनवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(46-C)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष श्री दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भोगीपुर,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

(पंजीयन क्रमांक 914, दिनांक 18 जुलाई, 2005, जिला शाजापुर).

विषय : मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 जनवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(46-D)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष श्री दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जरखी,

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

(पंजीयन क्रमांक 272, दिनांक 17 जनवरी, 1984, जिला शाजापुर).

विषय : मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के

अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 24 जनवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(46-E)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष श्री दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मीखेडा,

तहसील आगर, जिला शाजापुर.

(पंजीयन क्रमांक 157, दिनांक 25 अप्रैल, 1980, जिला शाजापुर).

विषय : मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 24 जनवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(46-F)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष श्री दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कढिया,

तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर.

(पंजीयन क्रमांक 326, दिनांक 21 अक्टूबर, 1985, जिला शाजापुर).

विषय : मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के

अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 24 जनवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(46-G)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा अध्यक्ष श्री दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेलागाँव,
तहसील नलखेडा, जिला शाजापुर.
(पंजीयन क्रमांक 488, दिनांक 16 मई, 1988, जिला शाजापुर).

विषय : मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 24 जनवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(46-H)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा अध्यक्ष श्री दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मनासा,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
(पंजीयन क्रमांक 813, दिनांक 28 मार्च, 2002, जिला शाजापुर).

विषय : मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के

अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 24 जनवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(46-I)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा अध्यक्ष श्री दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करजू,

तहसील मो. बडोदिया, जिला शाजापुर.

(पंजीयन क्रमांक 813, दिनांक 28 मार्च, 2002, जिला शाजापुर).

विषय : मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 24 जनवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(46-J)

आर. के. मालवीय,

उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर

सागर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3200.—शिव महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बम्होरी गरय, तहसील रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक/ 1014, दिनांक 10 मार्च, 2003 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1600, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया

गया था. परिसमापक श्री एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिव महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बम्होरी गरय, तहसील रहली, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 1014, दिनांक 10 मार्च, 2003 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47)

सागर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3201.—महालक्ष्मी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., चाँदपुर, तहसील रहली, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 1103, दिनांक 12 मार्च, 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1609, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महालक्ष्मी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., चाँदपुर, तहसील रहली, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 1103, दिनांक 12 मार्च, 2004 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47-A)

सागर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3202.—अश्विनी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., खटोराकला, विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 902, दिनांक 08 अगस्त, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1446, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, मालथोन द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अश्विनी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., खटोराकला, विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 902, दिनांक 08 अगस्त, 2002 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47-B)

सागर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3203.—पूजा महिला विकास सहकारी संस्था मर्या., सूबेदार वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 1113, दिनांक 26 अप्रैल, 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2831, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा

परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूजा महिला विकास सहकारी संस्था मर्या., सूबेदार वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 1113, दिनांक 26 अप्रैल, 2004 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47-C)

सागर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3204.—फल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुड़ारी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 778, दिनांक 25 जून, 2001 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2879, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुड़ारी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 778, दिनांक 25 जून, 2001 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47-D)

सागर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3205.—गणेश ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., देवरी, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 1189, दिनांक 21 मार्च, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2824, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, देवरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गणेश ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., देवरी, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 1189, दिनांक 21 मार्च, 2005 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47-E)

सागर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3206.—आदिम जाति रेत मुरम पत्थर खदान सहकारी संस्था मर्या., भुगावली, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 1733, दिनांक 15 मई, 1998 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री अनिल कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, खुरई द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिम जाति रेत मुरम पत्थर खदान सहकारी संस्था मर्या., भुगावली, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 1733, दिनांक 15 मई, 1998 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47-F)

सागर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3207.—जय हर सिद्धि देवी ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 1018, दिनांक 21 जनवरी, 2003 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2797, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय हर सिद्धि देवी ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 1018, दिनांक 21 जनवरी, 2003 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47-G)

सागर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3208.—जय भवानी ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., शिवाजी नगर वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 964, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2837, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय भवानी ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., शिवाजी नगर वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 964, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47-H)

सागर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3212.—नौदुर्गा ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., केशवगंज वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 1037, दिनांक 12 मार्च, 2003 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2798, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौदुर्गा ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., केशवगंज वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 1037, दिनांक 12 मार्च, 2003 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47-L)

सागर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3213.—महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मीपुरा वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 759, दिनांक 05 अप्रैल, 2000 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2865, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मीपुरा वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ 759, दिनांक 05 अप्रैल, 2000 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47-M)

सागर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3214.—जय गंगे ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., सूबेदार वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ 1051, दिनांक 31 मई, 2003 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2794, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय गंगे ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., सूबेदार वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ 1051, दिनांक 31 मई, 2003 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47-N)

एस. के. जैन,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., राजपुरा, शिवपुरी	36/14-03-1989	2398/11-12-12
2.	नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, शिवपुरी	105/17-01-1962	2397/11-12-12

अतः उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 2 PM तक कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(31)

विनीता सक्सेना,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	तहसील वेतन भोगी सह. संस्था, शिवपुरी	93/04-11-1963	2399/11-12-12
2.	कलेक्ट्रेट विभाग वेतन भोगी सह. संस्था, शिवपुरी	146/15-04-1964	2400/11-12-12
3.	वन विभाग वेतन भोगी सह. संस्था, शिवपुरी	147/15-04-1964	2401/11-12-12
4.	पुलिस विभाग वेतन भोगी सह. संस्था, शिवपुरी	53/02-12-1962	2402/11-12-12

अतः उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 2 PM तक कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(32)

व्ही. डी. अग्रवाल,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 05]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 फरवरी 2013-माघ 12, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 17 अक्टूबर, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के रीवा जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है—

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील त्योंथर, सिरमौर, मऊगंज, हुजूर, गुढ़, रायपुरकर्चुलियान (रीवा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 245.2 मि. मी. से 450 मि. मी. तक.—तहसील हनुमना (रीवा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, शाजापुर, देवास, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी व मंदसौर, डिण्डोरी, कटनी में रबी फसल एवं विदिशा में खरीफ की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, शहडोल, देवास, नरसिंहपुर व डिण्डोरी में राई, सिंगरौली में अलसी, चना व सीधी, मंदसौर, सिवनी में रबी फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—

..

5. कटाई.— जिला धार, बुरहानपुर, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा में फसल सोयाबीन व सिवनी में खरीफ फसल सोयाबीन, मक्का, धान व सिंगरौली में मूँग, सांवा, मक्का, उड़द व बैतूल में मक्का, सोयाबीन, धान व मूँगफली, झाबुआ में मक्का, सोयाबीन, धान, उड़द व मूँगफली की तुड़ाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

..

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, शहडोल, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 17 अक्टूबर, 2012

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का, सोयाबीन, कपास समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ज्वार, बाजरा, तिल सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिल, मूँगमोठ, तुअर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड़द, तिल, सोयाबीन, मूँगफली, ज्वार, धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, मूँग. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुंगावली	..		4. (1) उड़द, सोयाबीन, गन्ना अधिक. मक्का, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) धान, ज्वार, मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल, मूँगफली समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) अरहर, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, अरहर, मूँग, उड़द, गन्ना, मूँगफली, तिल, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) धान, जुआर, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक, चना कम. धान, ज्वार, कोदों-कुटकी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, सोयाबीन, मूँग, उड़द, अरहर कम. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	130.0				
2. सिरमौर	61.0				
3. सेमरिया	..				
4. मऊगंज	231.4				
5. मनगवां	..				
6. हनुमना	293.3				
7. जवा	..				
8. हजूर	94.0				
9. गुढ़	113.0				
10. रयपुकचुलिया	125.0				
11. नई गढ़ी	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान कम. मक्का, उड़द, अरहर, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
*जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. ..	7. .. 8. ..
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, अरहर, सोयाबीन, उड़द, तिल अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी : 1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसल की बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मसूर, कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला सिंगरौली : 1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	मिलीमीटर	2. जुताई एवं अलसी, चना की बोनी व मूँग, सांवा, मक्का, उड़द कटाई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर कम. धान, मक्का, ज्वार, तिल, उड़द, मूँग, कोदों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला मन्दासौर : 1. सुवासरा-टप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दासौर 6. सीतामऊ 7. धुन्धड़का 8. शामगढ़ 9. संजीत	मिलीमीटर	2. रबी की जुताई एवं रबी की बोनी कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक, मक्का, उड़द कम. तिल, मूँगफली समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला नीमच : 1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, मूँगफली, तिल, तुअर-अधिक. उड़द कम. सोयाबीन समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला रतलाम : 1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रतलाम	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला उज्जैन : 1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शाजापुर : 1. मो. बड़ोदिया 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर 5. बड़ौद 6. शाजापुर 7. शुजालपुर 8. कालापीपल 9. गुलाना	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, ज्वार, अरहर, मूँगफली मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, मूँग, उड़द, सोयाबीन अधिक. ज्वार, मक्का, कपास कम. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. मक्का, सोयाबीन, धान, उड़द की कटाई एवं मूँगफली की तुड़ाई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक. धान कम. मक्का, कपास, मूँगफली, उड़द, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. ..	7. पर्याप्त. 8. ..
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. भामरा	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, कपास, उड़द, सोयाबीन, तुअर, मूँगफली अधिक. ज्वार कम. (2) सुधरी फसल.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद. ..	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. राणापुर	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक. ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास कम. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल की कटाई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
*जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़वाह	..				
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगोन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला पूर्ण-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) गन्ना, मूँगफली, अधिक. तिल, सनहेम्प, कपास, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) समान.		
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) सोयाबीन अधिक. गन्ना, ज्वार कम. मक्का, मूँगफली, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूँग, मक्का ज्वार.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..		
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की फसल कटाई कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, गन्ना, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं धान, मक्का, सोयाबीन की कटाई व मूँगफली की तुड़ाई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार अधिक. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, सोयाबीन अधिक. गन्ना, मूँगमोठ, उड़द कम. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
4. रहटगांव	..				
5. सिराली	..				
6. हण्डिया	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) धान, सोयाबीन सुधरी हुई. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की जुताई एवं खरीफ फसलों की कटाई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, कोदों, राहर, तिली, सोयाबीन, उड़द. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, उड़द, सोयाबीन, मूँग अधिक. मक्का, तुअर कम. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दूखेड़ा				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, मक्का, कोदों, तुअर, तिल, सन सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की जुताई एवं राई की बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, सोयाबीन, राहर, कोदों-कुटकी, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांडुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी व खरीफ फसल सोयाबीन, मक्का, धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, मक्का, तुअर, मूँगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, बाजरा, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँगमोठ, सोयाबीन कम. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. कुरई 6. घंसौर 7. घनोरा 8. छपारा				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लांजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर				

टीप.— *जिला गुना, अनूपपुर, प. निमाड़, बड़वानी, पूर्व निमाड़, रायसेन से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(41)